

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2628]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 8, 2015/अग्राहायण 17, 1937

No. 2628]

NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 8, 2015/AGRAHAYANA 17, 1937

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 दिसम्बर, 2015

सं. 91/2015

का.आ. 3313(अ).—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 80ग की उपधारा (2) के उपवाक्य (xiv) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, एतद्वारा, एच डी एफ सी म्यूचुअल फंड द्वारा स्थापित एच डी एफ सी सेवानिवृत्ति बचत निधि, जोकि भारतीय प्रत्याभूति एवं विनिमय बोर्ड (म्यूचुअल फंड) रेगुलेशन, 1996 के अंतर्गत पंजीकृत द्वारा स्थापित किया गया है और जिसका पंजीकरण सं. एमएफ/044/00/6, दिनांक 30 जून, 2000 है, को आकलन वर्ष 2016-2017 और इसके बाद आने वाले आकलन वर्षों के लिए उक्त उपवाक्य के प्रयोजनार्थ पेंशन फंड के रूप में विनिर्दिष्ट करती है।

यह अधिसूचना, सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से लागू होगी।

[फा. सं. 178/21/2014—आई टी ए—I]

रोहित गर्ग, उप सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th December, 2015

No. 91/2015

S.O. 3313(E).—In exercise of the powers conferred by clause (xiv) of sub-section 2 of the Section 80C of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby specifies the HDFC Retirement Savings Fund, set up by the HDFC Mutual Fund registered under the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) Regulations, 1996 having registration No. MF/044/00/6, dated the 30th June, 2000, as a pension fund for the purposes of the said section for the assessment year 2016-17 and subsequent assessment years.

This notification shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. 178/21/2014-ITA-I]

ROHIT GARG, Dy. Secy.

5132 GI/2015